राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.ए.ड.पी./सा.न्याय एवं अ.वि./07/ 42454 जयपुर, दिनांक : 2/8/07

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 39035 दिनांक 16.07.07 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।

इस आयोग की सदस्यता और कार्य एवं शक्तियां निम्न प्रकार होंगे :-

सदस्यता :-

1. इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव व तीन अन्य सदस्य होंगे।
2. अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। सदस्य सचिव राज्य सरकार के कम से कम उप सचिव स्तर के कार्यरत/निवर्तमान अधिकारी होंगे।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य समयावधि से पूर्व अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग सकता है।
4. राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी :-
   (1) कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर,
   (2) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर,
   (3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर,
   (4) कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर,
   (5) आयोग को बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,
   (6) राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप पिछड़े वर्गों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर। परन्तु किसी की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिए समाप्त नहीं की जा सकेगी।
   (7) आयोग के सदस्यों में से कोई भी पद रिक्त होने पर रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा नवीन मनोनयन कर तीन वर्ष के लिये भरा जा सकेगा।

व शक्तियां :—

1. यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनाएं तथा उक्त सूची में कम समावेश व अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर राज्य सरकार को ऐसे सुझाव देगा जो वह उचित समझे।
2. आयोग द्वारा इस हेतु दिये सुझाव व सिफारिशें राज्य सरकार को सामान्यतः मान्य होगी।
3. आयोग के सदस्यों के वेतन/भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जायेंगे जिनका भुगतान आयोग को दिये गये वार्षिक अनुदान से किया जायेगा।
4. आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।
5. आयोग प्रति वर्ष राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके वर्ष भर के कार्यों का लेखा—जोखा व समीक्षा होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आज्ञा से,

(एस.सी. देराश्री) 02.8.2007
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सा.न्याय एवं अ.वि./07/42455-26224 जयपुर, दिनांक :2/8/07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ भरतपुर
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
10. आयुक्त, निःशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास/परियोजना निदेशक, एससीएसपी, मुख्यावास
17. समस्त उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण ....
19. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव
02.8.2007

E:\Upd\DXBC\OBC\Aayog.doc